

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 153/14

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र लिखमाराम जाति धाणक निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. नेकीराम पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
3. लिला पत्नी छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
4. सुनील पुत्र छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
5. विक्रम पुत्र छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
6. रेखा पुत्री छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
7. शंकर पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
8. रोहताष पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक ओ.बी. सी. निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई एडीबी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता तकशीम

अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्त० अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादी

निर्णय

दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता 23/74 के मु०नं० 9 किला नं० 1 ता 8 की 2.024 है० मु०नं० 10 के किला नं० 1 ता 4 की 1.012 है० किला नं० 5 की 0.164 है० किला नं० 7 ता 10 की 1.012 है० मु०नं० 14 के किला नं० 1, 10 ता 13 की 1.265 है० मु०नं० 15 के किला नं० 5 व 6 की 0.506 है० मु०नं० 90 के किला नं० 17, 23, 24 की 0.759 है० मु०नं० 91 के किला नं० 1, 7 ता 13, 19 व 20 की 2.530 है० मु०नं० 98 के किला नं० 3 व 8 की 0.506 है० कुल तादादी 9.778 है० (नहरी 1.771 है० बाराणी 8.007 है०) खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि में वादी का 1.214 है०, प्रतिवादी गोपाल का 0.741 है० प्रतिवादील नेकीराम का 1/5 भाग, प्रतिवादी लिला, विक्रम, सुनील, रेखा का 1/5

कृष्णकुमार बनाम गोपाल आदि

भाग बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी शंकर का 1/5 भाग, प्रतिवादी रोहताष का 1/5 भाग खातेदारी दर्ज है।

वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सानुसार अच्छी मंदा के हिसाब से खाता तकशीम किया जाकर माल एवं लगान अलग से कायम किया जाकर यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद में पत्रावली को दिनांक 29.06.2015 लोक अदालत कोर्ट कैम्प गढीछानी में रखी गयी। प्रतिवादी सं. 1, 7, 8 एवं वादी स्वयं उपस्थित आये। लोक अदालत कोर्ट कैम्प में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 7, 8 ने अच्छी मंदा वाद को प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किया। दावा वादी खाता विभाजन का होने के कारण प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार राजस्व भादरा को मौका कमीशनर नियुक्त कर वाद भूमि का अच्छी मंदा के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में रास्ता आदि का अंकन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 14.03.2017 को पत्रावली पर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर सुना गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 की तामील रजि. उाक से करवायी गयी जो लेने के इन्कार प्राप्त हुई। अतः प्रतिवादी स. 2 ता 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दौराने बहस वकील वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने मुताबिक अच्छी मंदा अनुसार जोत विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया है। अतः प्रतिवादीगण के द्वारा कोई लिखित आपति नही होने पर वाद वादी तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा वादी कृष्णकुमार वल्द लिखमाराम जाति धानक सा. गढीछानी देह खातेदार, राहिन ओ.बी.सी. बैंक निनाण रोही मौजा चक 6 जे.एस.एल. के खाता संख्या 23/74 के मु.न. 14 किला नं. 10 से 13 की 1.012 हैक्टर, मु.न. 15 किला नं. 6/1 की 0.189 कुल 1.201 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में रंग नीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादी गोपाल वल्द कानाराम 0.744 हैक्टर, नेकीराम, शंकर पि. कानाराम,

रोहताष पत्र प्रताप 1.959 हैक्टर जाति चमार

कृष्णकुमार बनाम गोपाल आदि

रोही मौजा चक 6 जे.एस.एल. के खाता संख्या 23/74 के मु.न. 9 किला नं. 1 ता 8 की 2.024 हैक्टर, मु.न. 10 किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 की 2.188 हैक्टर, मु.न. 14 किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 15 किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.064 हैक्टर, मु.न. 90 किला नं. 17, 23, 24 की 0.759 हैक्टर, मु.न. 91 किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 7 ता 13 की 1.771, 19, 20 की 0.506 हैक्टर मु.न. 98 किला नं. 3 की 0.253, किला नं. 8 की 0.253 हैक्टर कुल किता 35 की 7.577 हैक्टर नहरी 0.317 बारानी 7.260 हैक्टर कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में रंग पीला के अनुसार।

नोट :- आवागमन हेतु वादी कृष्णकुमार को मु.न. 14 के किला नं. 1 में उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता चाहिए जिसके एवज में वादी अपने हिस्से 1.214 में से 0.013 हैक्टर मु.न. 15 के किला नं. 6 में से अपनी हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी को समान रूप से देगा।

खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग कायम कर दर्ज किया जावें। बैंक का रहन यथावत रखा जावे। इसीनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(^{RS}कृष्णभ जैन)

R.A.S

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 153/14

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र लिखमाराम जाति धाणक निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. नेकीराम पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
3. लिला पत्नी छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
4. सुनील पुत्र छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
5. विक्रम पुत्र छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
6. रेखा पुत्री छोटूराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
7. शंकर पुत्र कानाराम जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
8. रोहताष पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक ओ.बी. सी. निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई एडीबी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

हिस्सा वादी कृष्णकुमार वल्द लिखमाराम जाति धानक सा. गढ़ीछानी देह खातेदार, राहिन ओ.बी.सी. बैंक निनाण रोही मौजा चक 6 जे.एस.एल. के खाता संख्या 23/74 के मु.न. 14 किला नं. 10 से 13 की 1.012 हैक्टर, मु.न. 15 किला नं. 6/1 की 0.189 कुल 1.201 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में रंग नीला के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादी गोपाल वल्द कानाराम 0.744 हैक्टर, नेकीराम, शंकर पि. कानाराम, सुनील पुत्र छोटूराम 5.784 हैक्टर, रोहताष पुत्र प्रताप 1.959 हैक्टर जाति चमार सा. गढ़ीछानी खातेदारी, राहिन सुनिल हि. एसबीआई छानीबड़ी सा. देह खातेदार :- रोही मौजा चक 6 जे.एस.एल. के खाता संख्या 23/74 के मु.न. 9 किला नं. 1 ता 8 की 2.024 हैक्टर, मु.न. 10 किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 की 2.188 हैक्टर, मु.न. 14 किला

नं. 1 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 15 किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.064 हैक्टर, मु.न. 90 किला नं. 17, 23, 24 की 0.759 हैक्टर, मु.न. 91 किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 7 ता 13 की 1.771, 19, 20 की 0.506 हैक्टर मु.न. 98 किला नं. 3 की 0.253, किला नं. 8 की 0.253 हैक्टर कुल किता 35 की 7.577 हैक्टर नहरी 0.317 बारानी 7.260 हैक्टर कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में रंग पीला के अनुसार।
नोट :- आवागमन हेतु वादी कृष्णकुमार को मु.न. 14 के किला नं. 1 में उत्तर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता चाहिए जिसके एवज में वादी अपने हिस्से 1.214 में से 0.013 हैक्टर मु.न. 15 के किला नं. 6 में से अपनी हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी को समान रूप से देगा।

खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग कायम कर दर्ज किया जावें। बैंक का रहन यथावत रखा जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक6-10-17को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़